PREMIER POLYFILM LIMITED

Regd. Office: Flat No. 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, (Zamroodpur), New Delhi - 110048
CIN : L25209DL1992PLC049590; **GST:** 07AAACP0371Q2Z5
Phone: 011 -45537559, **Email:** compliance.officer@premierpoly.com

NOTICE OF TRANSFER OF UNCLAIMED SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY

Notice is hereby given to the shareholders of the company pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act,2013 and Rule 6 of the Investor Education and protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules,2016 (IEPF Rules) as amended from time to time.

The IEPF Rules, inter alia, provide that all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred by the company in the name of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) Authority.

Adhering to the various requirements/provisions set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholder whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority in the financial year 2024-2025 under the IEPF Rules for taking appropriate action.

The company has also uploaded the details of such shareholders and number of shares due for transfer to IEPF Authority on its website at www.premierpoly.com shareholders are requested to verify the details of unpaid/unclaimed dividend and number of equity shares liable to be transferred to Investor Education And Protection Fund Authority (IEPF) Authority from the company's website.

The shareholders are advised to claim their shares by 15-11-2024.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and equity shares transferred to IEPF Authority can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribedunder the IEPF Rules.

The shareholder may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of new share certificate(s) by the company, for the purpose of transfer of shares held in physical form to the IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

In case, the shareholder does not claim the unclaimed dividend(s) **by 15th November, 2024,** the company shall with a view to comply with the requirements set out in the IEPF Rules, initiate necessary action for transfer of equity shares (whether held in physical form or in demat form) to the IEPF Authority as per procedure prescribed in this regard.

In case shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Share transfer Agent at Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., "Beetal House", 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Das Mandir, New Delhi - 110062 Email: beetalrta@gmail.com or company's Secretarial Department at above stated address or at Emails: compliance.officer@premierpoly.com

For Premier Polyfilm Limited
Sd/-
Heena Soni
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 30-05-2024

थानः दिल्ली एनसीआर

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर 305, तृतीय तल, एलीट हाउस, 36, सामुदायिक केंद्र, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, (जमरूदपुर), नई दिल्ली–110048
सीआईएनः L25209DL1992PLC049590; जीएसटीः 07AAACP0371Q2Z5
फोनः 011–45537559, ईमेलः compliance.officer@premierpoly.com

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण को दावा रहित शेयरों के हस्तांतरण की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) के नियम 6 समय–समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों को सूचना दी जाती है।

आईईपीएफ नियम, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान करते हैं कि वे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरित किए जाएंगे।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं/प्रावधानों का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारक को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है, जिनके शेयर उचित कार्रवाई की जा सके हेतु आईईपीएफ नियमों के तहत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों का विवरण और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों की संख्या अपनी वेबसाइट www.premierpoly.com पर भी अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट से गैर भुगतान /अदावा किए गए लाभांश का विवरण और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य इक्विटी शेयरों की संख्या को सत्यापित करें।

शेयरधारकों को 15–11–2024 तक अपने शेयरों का दावा करने की सलाह दी जाती है।

शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित गैर–भुगतान लाभांश और इक्विटी शेयर दोनों को उनके द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है।

शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र(ओं) के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाना चाहिए।

यदि शेयरधारक 15 नवंबर, 2024 तक दावा न किए गए लाभांश का दावा नहीं करता है, तो कंपनी आईईपीएफ नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने के उद्देश्य से, इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों (चाहे भौतिक रूप में या डीमैट रूप में) के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगी।

यदि शेयरधारकों को विषय वस्तु पर कोई प्रश्न हों, तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, "बीटल हाउस", 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के पास, नई दिल्ली – 110062 ईमेलः beetalrta@gmail.com या कंपनी के सचिवीय विभाग से ऊपर बताए गए पते पर या ईमेलः compliance.officer@premierpoly.com पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड के लिए

हस्ता/–

हीना सोनी ,

कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30–05–2024